

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 07 / 08 / 2026

विषय:— "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रु० 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 515,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं०-308(1), दिनांक-07.03.2019 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रु० 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 515,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

2- Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक-No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक-29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रु० 50.00 करोड़ मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या-No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनांक-29.07.2026 के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तदक्रम में वित्त विभाग के पत्रांक--910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 50.00 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है—

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2020-21	40,70,00,000	सं०-33(1), दिनांक-15.01.2021
2	2023-24	5,00,00,000	सं०-528(7), दिनांक-23.02.2024
3	2024-25	1,00,00,000	सं०-47(7), दिनांक-27.05.2024
4	2024-25	60,00,00,000	सं०-135(7), दिनांक-21.08.2024
5	2024-25	65,93,00,000	सं०-308(7), दिनांक-23.12.2024
6	2024-25	30,15,00,000	सं०-592(7), दिनांक-28.03.2025

7	2025-26	15,00,00,000	सं0-277(7), दिनांक-02.09.2025
8	2025-26	10,00,00,000	सं0-353(7), दिनांक-06.10.2025
9	2025-26	20,00,00,000	सं0-15(7A), दिनांक-14.01.2026
10	2025-26	10,00,00,000	सं0-92(7A), दिनांक-24.02.2026
11	2025-26	30,00,00,000	सं0-124(7A), दिनांक-20.03.2026
12	2026-27	10,00,00,000	सं0-193(7A), दिनांक-09.06.2026
कुल योग-		2,97,78,00,000/-	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त रु० 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु० 515,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-308(1), दिनांक-07.03.2019 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6- इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0101-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030510101 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूँजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेंसी (BMSICL) पी० एल० खाता में हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक-910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

9- वित्त विभागीय पत्रांक-910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि०, दिनांक-24.03.2017, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

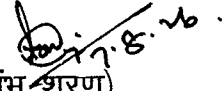
12- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-59/2025-26 के पृष्ठ-78/टि० में प्राप्त है।

13- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

14- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

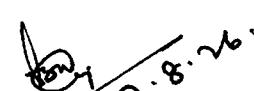
ज्ञापांक:-7/बजट-46-59/2025-26-286(7A) स्वा०, पटना, दिनांक-07/08/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिलाधिकारी, बेगूसराय/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
421